FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कोर्ट सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

राणाराम बनाम खरताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० भा० 251 (A) RTAct नं. 163/16 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/08/16	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 251 (A) RTAct राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/09/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	नि० अं० राणाराम
14/09/16	प्रार्थी वकील व प्रार्थी संख्या 1, 2 व 4(अ) उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 बावजूद तामील अनुउपस्थित। जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत का प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार गिडा को लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/10/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	दौलाराम हीराराम

18/10/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य ड्यूटी कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 08/11/16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

08/11/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 12/12/16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

13/12/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 1 ला 8 की ओर से वकील श्री चुनाराम द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते एकतरफा आदेश दिनांक 14/09/16 को मन्सूख करने मय वकालातनामा पेश किया जिस पर प्रार्थी वकील द्वारा No objection किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पे पधारे हुए है। अतः मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 25/01/17 को पेश हो।

25/01/17 वकीलान फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के खिलाफ पूर्व में की गई एकतरफा कार्यवाही दिनांक 14/09/16 को मन्सूख किया जाता है अतः विप्रार्थीगण जवाब हेतु पत्रावली आगामी दिनांक 08/02/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/02/17	पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत एकतरफा आदेश मंसूख करने का जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत मौका रिपोर्ट की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत का प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गिड़ा के नाम तहरीर जारी होकर पत्रावली फाईनल दिनांक 27/02/17 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/02/17	पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। फाईनल पेश करना चाहते हैं। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/03/17 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/03/17	पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एकतरफा कार्यवाही मन्सूख करने पर प्रार्थी वकील द्वारा No objection किया गया, विप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध पूर्व में की गई एकतरफा कार्यवाही को मंसूख की जा रही है। अतः पत्रावली मूल आवेदन में विप्रार्थी संख्या 1 से 8 के जवाब हेतु दिनांक 26/04/17 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/04/17	पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाईनल पेश करना चाहते हैं। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गिड़ा में दिनांक 02/06/2017 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

02/06/17 पत्रावली आज स्थगन आदेश हाजमियत 2017 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गिड़ा में रखी गई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत आदेश 18 नियम 18 द्वारा प्रार्थना-पत्र मौका रिपोर्ट पुनः तैयार करवाने बाबत को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति विप्रार्थीगण वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने के प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, बहस सुनने के बाद प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा जाकर विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं मौके पर जाकर दोनों पक्षों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवायें। मौका रिपोर्ट के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 27/09/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

27/09/17 वकुलाय फरीकेन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 18/10/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

18/10/17 वकुलाय फरीकेन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 20/11/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/17	पुकार फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पुनः स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/12/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/12/17	पुकार फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 14/02/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
14/02/18	पुकार फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 27/03/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/03/18	पुकार फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/04/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
16/04/18	पुकार फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/05/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/07/18	पत्रावली फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। न्याय कार्य के अलावा श्रीमान पीठासीन अधिकारी ~~न्याय~~ प्रशासनिक में व्यस्त होने से मिसल इलतवा पेश कर आगामी दिनांक 30/07/18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
30/07/18	पत्रावली फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व प्रार्थी के मूल आवेदन पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट व प्रार्थी का मूल आवेदन स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
03/01/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पत्रावली तलब कर वास्ते संशोधित आदेश करने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त राजस्व आवेदन के आदेश दिनांक 30/07/18 में आदेश लिखते समय आदेश के अंतिम पैरा में दूसरी लाईन में ग्राम - सिसोदिया पाना की जगह बेनिवालों की ढाणी व पूनियों की बेरी व पटवार मण्डल गिड़ा की जगह पटवार मण्डल परेऊ लिख दिया गया। जबकि उक्त आवेदन में राजस्व ग्राम सिसोदिया पाना व पटवार मण्डल गिड़ा आदेश करते

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

... व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा. कोर्ट न. - 163/16 मनवाग - राणाराम v/s खरताराम वगैरा	
	समय लिखा जाना था। इसलिए प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-152 CPC को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30/07/18 में ग्राम बेनिवालो की ढाणी व पूनियो की बेरी के स्थान पर सिसोदिया पाना व पटवार मण्डल परेऊ के स्थान पर पटवार मण्डल गिड़ा किया जाने का आदेश फरमाया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त आवेदन में आदेश दिनांक 30/07/2018 में ग्राम बेनिवालो की ढाणी व पूनियो की बेरी की जगह ग्राम सिसोदिया पाना व पटवार मण्डल परेऊ के स्थान पर पटवार मण्डल-गिड़ा पढ़ा जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री हेताराम चौहान, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या 163/2016 दिनांक:—30.07.2018

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. राणाराम पुत्र नैनाराम 2. दौलाराम पुत्र केहरराम 3. पुरखाराम पुत्र केहरराम 4. मेगाराम पुत्र केहरराम 5. हीराराम पुत्र केहरराम जाति जाट निवासी सिसोदिया पाना, गिड़ा, तह. गिड़ा जिला बाड़मेर	**बनाम**	1. खरताराम पुत्र चिमाराम 2. राजूराम पुत्र चिमाराम 3. मीरो पत्नी चिमाराम 4. भीखीदेवी पत्नी खेमाराम 5. बागाराम पुत्र राणाराम 6. मगी पत्नी बगताराम 7. चेतनराम पुत्र बगताराम 8. खीयाराम पुत्र कानाराम जातियान् जाट निवासीयान् सिसोदिया पाना, गिड़ा, तह. गिड़ा जिला बाड़मेर 9. शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक परेउ 10. तहसीलदार, गिड़ा

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :— 1. श्री घमण्डाराम सारण अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

2. श्री चुनाराम अधिवक्ता विप्रार्थीगण 1 से 8 की ओर से

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

आदेश

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 26 रकबा 58.04 बीघा मौजा सिसोदिया पाना पटवार मण्डल गिड़ा तहसील गिड़ा से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 458.08 बीघा मौजा सिसोदिया पाना पटवार मण्डल गिड़ा में से होकर 15 फीट चौडा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज कर, विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया गया। विप्रार्थी

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

...तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की ओर से वकील श्री चुनाराम द्वारा वकालतनामा पेश कर, पूर्व में की गई एकतरफा कार्यवाही को मन्सुख करने का प्रार्थना पेश किया गया जिस पर प्रार्थीगण वकील द्वारा कोई आप्पती दर्ज नहीं करवाई गई। अतः विप्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, दिनांक 14.09.2016 को की गई एकतरफा कार्यवाही को मन्सुख किया गया तथा विप्रार्थीण से जवाब चाहा गया।

प्रार्थीगण वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक गिड़ा द्वारा मौका स्थल पर पटवारी को साथ रखकर तैयार की गई। भू अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये स्थान पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आवागमन हेतु योग्य नहीं है। उक्त सड़क मार्ग से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 33 में 01.16 बीघा है। मौके की जांच का प्रतिवेदन तहसीलदार गिड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसील कार्यालय से प्राप्त रास्ता कायम करने के प्रतिवेदन पर वकील प्रार्थीगण के वकील को सुना गया। प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 26 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते पर से ही होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है तथा विप्रार्थीगण द्वारा आवागमन में बाधा पैदा करने पर ही प्रार्थी को विधिनुसार रेकर्ड में रास्ता कायम करने हेतु यह आवेदन पेश करना पडा है, इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट व नक्शा अनुसार रास्ता कायम किया जाये, प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहश सुनी, उनके कथनो पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान के मध्य पारस्परिक सहमति

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थीगण के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थीगण को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है, जहां से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 26 तक पहुंच सके।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बेनिवालों की ढाणी व पूनियों की बेरी पटवार मण्डल परेउ के निम्न खसरान में से होकर खसरा नम्बर 26 तक पहुंचने हेतु 01.16 बीघा का रास्ता कायम किया जाता है :–

नाम ग्राम	खसरा नम्बर जिसमें से रास्ता दिया जाना है।	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा
सिसोदिया पाना	33	01.16 बीघा
कुल	1	01.16 बीघा

खसरा नम्बर 33 ग्राम सिसोदिया पाना की प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. की दर प्रति बीघा 31590 रूपये है। उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर से दुगुना देय होगा। प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 01.16 बीघा की राशि की गणना करने पर डी.एल.सी. से दुगुनी राशि रूपये 1,13,724/– होती है। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थीगण को राशि तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू–अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 1,13,724/– रूपये का विप्रार्थीगणों को भुगतान करें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु